an>

Title: Need to issue BPL cards to all the old-age people, physically challenged, widows to enable them get pensions under various welfare schemes meant for them.

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों एवं विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को विधवा पेंशन सुविधा मिले परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल. कार्ड हैं, उन्हें यह पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। अलग इन वर्गों के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को उक्त पेंशन नहीं मिल सकती है। इन वर्गों के बी.पी.एल कार्ड भी नहीं बनाये जा रहे हैं जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को उपरोक्त पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। जो बीपीएल कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं और जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड होने चाहिए, उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पंचायत स्तर पर सर्वे करवाकर बीपीएल की नई सूची तैयार की जाए जिससे विकलांग एवं विधवा तथा गरीब परिवार के सभी लोगों जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उन सभी को पेंशन पाने का अधिकार मिले। इसकी व्यवस्था की जाए एवं इस संबंध में नियमों को भी सरल बनाया जाए।